सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

केन्द्रीय कार्यालय Central Office

CO:MBD:2021-22:22 20th April, 2021

National Stock Exchange of India Limited Listing Department Exchange Plaza, Plot No.C/1, 'G' Block Bandra-KurlaP Complex Bandra (E), Mumbai-400 051	Bombay Stock Exchange Ltd. Corporate Relationship Deptt Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort Mumbai 400001

Dear Sir/Madam,

Sub : Raising of Equity Capital by way of preferential allotment

Further to our letter no. CO: MBD: 2021-22:13 dated 15th April,2021,we inform that the Capital Raising Committee of the Board of Directors of the Bank at its meeting held today i.e. 20th April ,2021 considered and approved raising of equity capital by issuance and allotment of, upto 2,80,53,76,972 equity shares of the face value of Rs.10.00 each at the issue price of Rs.17.11 per equity share including premium of Rs.7.11 per equity share determined as per SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 aggregating to Rs.4800 crore (Rupees Four Thousand Eight Hundred Crore only) to President of India (Government of India) on preferential basis, subject to approval of Shareholders, Reserve Bank of India, Stock Exchanges & other statutory authorities (if any).

Further to above, we submit herewith a copy of the said EGM notice, copy of the same is also being uploaded on website of the Bank namely- www.centralbankofindia.co.in under the link investor relations.

The meeting commenced at 02.00 p.m. and concluded at 2.30 p.m.

Please take the above on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For CENTRAL BANK OF INDIA

ANAND KUMAR DAS
DEPUTY GENERAL MANAGER/
COMPANY SECRETARY

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया / CENTRAL BANK OF INDIA
मर्चेंट बैंकिंग विभाग, के का
Merchant Banking Division, C.O.
मुंबई / MUMBAI

चंदर मुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 • दूरध्वनी : 2202 6428, 6638 7777 • फैक्स : (91-22) 2204 4336
चंदर मुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 • दूरध्वनी : 2202 6428, 6638 7777 • फैक्स : (91-22) 2204 4336
Chander Mukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021 • Tel. : 2202 6438, 6638 7777 • Fax : (91-22) 2204 4336
www.centralbankofindia.co.in

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए ''केंद्रित'' "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

असाधारण सामान्य बैठक की सूचना
मंगलवार, दिनांक 18 मई, 2021, मुंबई

NOTICE FOR EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING
TUESDAY, MAY 18, 2021, MUMBAI

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
प्रधान कार्यालय : चंदरमुखी, नरीमन पाइंट,
मुम्बई - 400021

CENTRAL BANK OF INDIA
Head Office : Chandermukhi, Nariman Point,
Mumbai - 400 021

विषय-सूची / CONTENTS

	पृष्ठ सं. PAGE NO.
सूचना Notice	01
नोट Notes	05
व्याख्यात्मक विवरण Explanatory Statement	17

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए ''केंद्रित'' "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय : चंदरमुखी नरीमन पॉइन्ट, मुम्बई - 400 021

सूचना

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर धारकों की असाधारण सामान्य बैठक **मंगलवार दिनांक 18 मई, 2021 को पूर्वान्ह 11.00 बजे** चंदरमुखी, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400 021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय (बैठक का प्रस्तावित स्थल) में विडिओ कॉन्फरेंस (वीसी) अथवा अन्य दृश्य श्रव्य माध्यम (ओएवीएम) से निम्नलिखित कारोबार के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी.

कार्यसूची मद स. 1 : भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को अधिमान्यता के आधार पर इक्विटी शेयर जारी करना.

निम्नलिखित पर विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर संशोधन (नों) ,सहित या रहित इसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

''**प्रस्ताव है कि** समय-समय पर संशोधित बैंककारी कंपनी अधिनियम (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) 1970, (जिसे इसमें इसके पश्चात ''**अधिनियम**'' कहा जाएगा), सहपठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात ''**योजना**'' कहा जाएगा) एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं मिटिंग्स) विनियम 1998 (जिसे इसमें इसके पश्चात ''**विनियम**'' कहा जाएगा) के प्रावधानों के अनुसार एवं **भारत सरकार**, **भारतीय रिज़र्व बैंक,** भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड **(सेबी)** और/अथवा इस संबंध में आवश्यक अन्य प्राधिकारी के अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों तथा स्वीकृतियों, यदि कोई हों की शर्त पर एवं उक्त अनुमतियां प्रदान करते हुए उनके द्वारा निर्धारित शर्तों एवं संशोधनों, जिन्हें बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति व्यक्त की गई, की शर्त पर और यथा संशोधित सेबी (पूंजी निर्गमन एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) अधिनियम 2018, (सेबी आईसीडीआर विनियम), सेबी(सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 (सूचीकरण विनियम), भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों की शर्तों के अधीन एवं उन शेयर बाजारों जिनमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सूचीकरण करार की शर्त पर बैंक के शेयरधारकों की सहमति है, जिसे बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके पश्चात ''**बोर्ड**'' कहा जाएगा) जिसमें पूंजी जुटानेवाली समिति भी शामिल है, जिसे बोर्ड द्वारा इस प्रस्ताव में निहित शक्ति सहित बोर्ड की शक्तियों के उपयोग के लिए गठित किया गया है/ अथवा पुनर्गठित किया जाना है, को एतद्द्वारा इस प्रस्ताव द्वारा ₹ 10/- अंकित मूल्य के कुल 280,53,76,972 इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को अधिमानी आधार पर, सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 164(1) के अनुरूप बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रति इक्विटी ₹ 7.11 के प्रीमियम सहित प्रति इक्विटी शेयर ₹ 17.11 के निर्गम मूल्य के नकद के लिए, कुल 4800.00 करोड़ (रु. चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) को निर्मित, प्रस्तावित, जारी एवं आबंटित करने की शक्तियां प्राप्त है.

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** संपरिवर्तन मूल्य के निर्धारण के लिए ''संगत तारीख'' 16 अप्रेल, 2021 है. (चूंकि 17 अप्रेल 2021 सप्ताहांत है) जो कि सदस्यो के अपेक्षित बहुमत द्वारा इस संकल्प को पारित करने हेतु तारीख अर्थात 18 मई 2021 से 30 दिनों पूर्व है.

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** निर्गम, आबंटन एवं सूचीबद्ध करने के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं स्वीकृति प्रदान करते समय लिस्टिंग करते समय बोर्ड को यह अधिकार व शक्ति प्राप्त होगी कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/वे शेयर बाजार, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे ही अन्य उचित प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव में चाहे गए या दिए गए संशोधनों, जिनसे बोर्ड सहमत हो, को स्वीकार किया जाए.

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** इस संकल्प के अनुसरण में अधिमानी आधार पर जारी एवं आबंटित किए जाने वाले कथित इक्विटी शेयर डीमेट स्वरुप में जारी किए जाएंगे तथा वे सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय V के अंतर्गत आवश्यक लॉक-इन-अवधि के अधीन

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

CENTRAL BANK OF INDIA

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021

NOTICE

Notice is hereby given that the Extra-ordinary General Meeting of the shareholders of Central Bank of India will be held on **Tuesday, 18th May, 2021 at 11.00 A.M.** at head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai-400 021 (deemed venue of the meeting) through Video Conference (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the following business :

Agenda Item No. 1: Issue of Equity Shares on Preferential Basis to President of India (Government of India)

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s) the following as special resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the **'Act'**) read with The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the **'Scheme'**) and Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as the **'Regulations'**) and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Government of India (**GoI**), Reserve Bank of India (**RBI**), Securities and Exchange Board of India (**SEBI**), and/ or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (SEBI ICDR Regulations), Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), as amended and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into, with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "**Board**") which term shall be deemed to include Capital Raising Committee which the Board have constituted or/ may reconstitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution to create, offer, issue and allot upto 280,53,76,972 Equity Shares of the face value of ₹ 10/-each to President of India (Government of India) on preferential basis, for cash at an issue price of ₹ 17.11 per Equity Share including premium of ₹ 7.11 per equity share determined by the Board in accordance with Regulation 164 (1) of SEBI ICDR Regulations aggregating upto ₹ 4800.00 crore (Rupees Four Thousand Eight Hundred crore only)."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the 'Relevant Date' for determination of the Issue Price is 16th April, 2021 (since 17th April 2021 is a weekend) being the date which is 30 days prior to the date for passing this resolution by requisite majority of members i.e. 18th May 2021."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GoI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions for the issue, allotment and listing thereof and as agreed to, by the Board."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements required under Chapter V of the SEBI ICDR Regulations and shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

होंगे एवं सभी पहलुओं में बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे तथा लाभांश, यदि कोई है, की घोषणा करने के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे.''

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए बोर्ड को उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिन्हें बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझा जाता हो और इक्विटी शेयर के निर्गम से संबंधित उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह के निपटान हेतु प्राधिकृत किया जाता है तथा आगे इसके पूर्ण विवेकाधिकारों में सही, उचित एवं वांछित समझे जाने वाले उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों, विषयों को करने, सभी दस्तावेजों, लेखनों को निष्पादित करने, जो आवश्यक वांछित व इष्टकर हो, को शेयरधारकों द्वारा इस प्रस्ताव से प्रदत्त अधिकारों से स्पष्टतः उनका अनुमोदन, अंतिम अधिकार व संकल्प मानते हुए उनकी आगे और किसी सहमति, अनुमोदन के बिना, करने हेतु बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है.''

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** उपर्युक्त संकल्प को प्रभावकारी बनाने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को अपनी सभी या किसी भी शक्ति को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक(कों) अथवा ऐसे किसी उपयुक्त अधिकारी(यों) को, जो वह उचित समझे, प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है.''

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

हस्त /-
(विजय वसंत मुरार)
महाप्रबंधक (ट्रेजरी/आईडी)

स्थानः मुंबई
दिनांकः 20.04.2021

“**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS
For CENTRAL BANK OF INDIA

Sd/-

Place: Mumbai **(VIJAY VASANT MURAR)**
Date: 20.04.2021 **General Manager (Treasury/ID)**

नोट :

1. व्याख्यात्मक विवरण

बैठक के कार्यकलापों के संबंध में प्रमुख तथ्य स्थापित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न हैं.

2. वीडिओ कॉन्फरेंस(वीसी) अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यम (ओएवीएम) से असाधारण सामान्य बैठक का आयोजन

i. कोविड-19, महामारी के चलते हुए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/ सीएफडी/सीएमडी1/ सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, तथा सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/ सीआईआर/पी/ 2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, सहपठित, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (''एमसीए'') ने अपने परिपत्र संख्या 20, दिनांक 5 मई, 2020, परिपत्र संख्या 14 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और परिपत्र संख्या 17, दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 22 दिनांक 15 जून, 2020, परिपत्र सं. 33 दिनांक 28 सितम्बर, 2020,परिपत्र सं. 39 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 और परिपत्र सं.2 दिनांक 13 जनवरी, 2021 (इसके बाद इन्हें सामूहिक रूप से ''एमसीए परिपत्र'' कहा जायेगा) के माध्यम से एक स्थल पर उपस्थित हुए बिना, वीडिओ कॉन्फरेंस(वीसी) अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यम (ओएवीएम) से असाधारण सामान्य बैठक का आयोजन करने की अनुमति प्रदान की है. इन एमसीए परिपत्रों और सेबी(सूचीबद्ध प्रकटीकरण एवं अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में बैंक के सदस्यों की असाधारण सामान्य बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है.

ii. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स और मीटिंग्स), विनियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार असाधारण सामान्य बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक, अपने स्थान पर बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकते / सकती हैं और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है. चूंकि यह असाधारण सामान्य बैठक ''एमसीए परिपत्र'' के अनुरूप वीडिओ कॉन्फरेंस(वीसी) अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यम (ओएवीएम) से आयोजित की जा रही है, सदस्य का भौतिक रूप से उपस्थित रहना समाप्त किया गया है. तद्नुसार, सदस्यों को प्रॉक्सी नियुक्ति की सुविधा इस असाधारण सामान्य बैठक के लिए उपलब्ध नहीं है, अत: प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इस सूचना के साथ संलग्न नहीं हैं.

iii. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

किसी कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की किसी बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उस बैठक, जिसमें उसे विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रस्ताव की प्रति बैंक को investors@centralbank.co.in पर ई-मेल के माध्यम से बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात बुधवार, दिनांक 12 मई, 2021 को सायं: 5.00 बजे या उसके पूर्व तक न भेजी जाए जोकि 13 मई, 2021 गुरूवार, सार्वजनिक अवकाश दिवस के एकदम पहले का कार्यालयीन दिवस है.

iv. **बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता हैं.**

v. **ई-मेल आईडी और बैंक खाता विवरणों का पंजीकरण :**

यदि खाताधारक का ई-मेल आईडी पहले ही बैंक / उसका पंजीयक (रजिस्ट्रार) एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट ''आरटीए''/ डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत है तो ई-वोटिंग के लॉग-इन विवरण उस पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजे जाएंगे.

यदि खाताधारक ने अपना ई-मेल आईडी बैंक / उसका रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट ''आरटीए'' / डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं किया है अथवा डिविडंड, यदि भविष्य में घोषित किया जाता है, के प्राप्ति के लिए बैंक खाता अधिदेश अद्यतन नहीं किया है, तो निम्न अनुदेशों का पालन करें:

(i) कृपया हमारा आरटीए, लिंक इनटाईम इंडिया प्रा.लि. की वेबसाइट www.linkintime.co.in पर इन्वेस्टर सर्विसेस > ई-मेल / बैंक डिटेल रजिस्ट्रेशन पर लॉग-इन करें. विवरण भरें और आवश्यक कागज़ात अपलोड कर, सबमिट करें. **अथवा**

(ii) ***यदि शेयर डीमेट स्वरूप में रखें गये हैं :***

शेयरधारक कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टीसिपंट (''डीपी'') से संपर्क करें और डीपी में प्रचलित और उनके द्वारा सूचित पद्धति के अनुसार डीमेट खाते में ई-मेल आईडी और बैंक खाता विवरण पंजीकृत करें.

NOTES:

1. **EXPLANATORY STATEMENT**

   The Explanatory Statement setting out the material facts in respect the business of the meeting is annexed hereto.

2. **HOLDING OF EGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)**

   i. In view of the continuing Covid-19 pandemic, Securities & Exchange Board of India (SEBI) circular no SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 read with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its Circular No. 20 dated May 5, 2020, Circular No. 14 dated April 8, 2020, Circular No. 17 dated April 13, 2020, Circular No. 22 dated June 15, 2020, Circular No. 33 dated September 28, 2020, Circular No. 39 dated December 31, 2020 and Circular No. 2 dated January 13, 2021 (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the holding of Extra-ordinary General Meeting through VC or OAVM without the physical presence of Members at a common venue. In compliance with these MCA Circulars and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Extra-ordinary General Meeting of the Members of the Bank is being held through VC/OAVM.

   ii. Pursuant to the provisions of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, a Member entitled to attend and vote at the Extra-ordinary General Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Bank. Since this EGM is being held pursuant to the MCA Circulars through VC/OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the Extra-ordinary General Meeting and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to the Notice.

   iii. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE**

   No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Central Bank of India as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been sent to the Bank through e-mail at investors@centralbank.co.in not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Wednesday, 12th May, 2021 being the immediate preceding working day to public holiday, 13th May, 2021.

   iv. **No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative of a shareholder.**

   v. **Registration of email ID and Bank Account details:**

   In case the shareholder's email ID is already registered with the Bank/its Registrar & Share Transfer Agent "RTA"/Depositories, log in details for e-voting are being sent on the registered email address.

   In case the shareholder has not registered his/her/their email address with the Bank/its RTA/Depositories or not updated the Bank Account mandate for receipt of dividend if declared in future, the following instructions are to be followed:

   (i) Kindly log in to the website of our RTA, Link Intime India Private Ltd., www.linkintime.co.in under Investor Services > Email/Bank detail Registration -fill in the details and upload the required documents and submit. **OR**

   (ii) ***In the case of Shares held in Demat mode:***

   The shareholder may please contact the Depository Participant ("DP") and register the email address and bank account details in the demat account as per the process followed and advised by the DP.

   vi. The Notice of the Extra-ordinary General Meeting is being sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Bank/Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circulars and circular issued by SEBI dated May 12, 2020(as amended if any). Members

vi. उक्त वर्णित एमसीए परिपत्रों तथा सेबी द्वारा दिनांक 12 मई, 2020 (यथा संशोधित, यदि कोई हो) को जारी परिपत्र के अनुसार असाधारण सामान्य बैठक की सूचना सिर्फ इलेक्ट्रानिक पद्धति से उन सदस्यों को भेजा जाएगा, जिनके -मेल आईडी बैंक / डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं. सदस्य नोट करें कि असाधारण सामान्य बैठक की सूचना बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर इन्वेस्टर रिलेशन्स लिंक के अंतर्गत, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. तथा बीएसई लिमिटेड इन स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं. सदस्य वार्षिक सामान्य बैठक में सिर्फ वीसी/ ओएवीएम सुविधा से ही उपस्थिति और सहभागिता कर सकते हैं.

vii. ई-वोटिंग और असाधारण सामान्य बैठक से जुड़ने के लिए निम्न अनुदेश हैं:

वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से असाधारण सामान्य बैठक में उपस्थित रहने वाले शेयरधारक /सदस्यों के लिए अनुदेश:

1) शेयरधारक /सदस्य लिंक इनटाईम इंडिया प्रा.लि. द्वारा प्रदत्त वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से असाधारण सामान्य बैठक में उपस्थित रहने हेतु निम्न प्रक्रिया करने के बाद पात्र होंगे. वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से असाधारण सामान्य बैठक से जुड़ने की सुविधा असाधारण सामान्य बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनिट पूर्व खुल जायेगी और सदस्यों को ''पहले आयें, पहले पाये'' के आधार पर उपलब्ध होगी.

शेयरधारक/सदस्यों से अनुरोध है कि वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से सहभागिता सीमित होने के कारण ''पहले आयें पहले पायें'' के आधार पर सहभागिता करें और यह सुविधा असाधारण सामान्य बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 (पंद्रह) मिनिट पश्चात बंद की जायेगी. 2% से अधिक शेयरधारिता रखनेवाले शेयरधारक/सदस्य, प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, केएमपी, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन तथा पारिश्रामिक समिति, स्टेकधारक संबंध समिति के अध्यक्ष तथा लेखापरीक्षक आदि को बैठक में ''पहले आयें, पहले पायें'' के प्रतिबंध के बिना अनुमति दी जाएगी. सदस्य बैठक के निर्धारित समय से 15 (पंद्रह) मिनिट पूर्व लॉग-इन कर बैठक में जुड़ सकते हैं और जुड़ने के लिए विन्डो निर्धारित समय के पश्चात 15(पंद्रह) मिनिट तक खुली रहेगी. सहभागिता सिर्फ 2500 सदस्यों तक ही सीमित हैं.

वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से असाधारण सामान्य बैठक में उपस्थित रहने हेतु शेयरधारक/सदस्यों को 'इन्स्टामीट' सुविधा प्रदान की जाएगी. जिसमें शेयरधारक/सदस्यों को निम्नानुसार अपने विवरण पंजीकृत कर बैठक में उपस्थित रहना होगा:

1. इंटरनेट ब्राउज़र खोलकर, इन्स्टामीट के लिए यूआरएल <<https://instameet.linkintime.co.in>> डालें और निम्न विवरण पंजीकृत करें:
   ए. डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी अथवा लाभार्थी आईडी अथवा फोलियो नं.: आपका बैंक के साथ पंजीकृत 16 आंकड़ों वाला डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी अथवा लाभार्थी आईडी अथवा फोलियो नं. प्रविष्ट करें.
   बी. पैन : आपका 10 डिजिट का स्थायी खाता नंबर प्रविष्ट करें.
   सी. मोबाइल नंबर.
   डी. ई-मेल आईडी
2. ''गो टू मिटिंग'' पर क्लिक करें.

नोट :

बेहतर अनुभव के लिए शेयरधारकों/सदस्यों से अनुरोध है कि ब्राडबैड से जुड़े टेबलेट / लैपटॉप के माध्यम से बैठक में जुड़े.

बैठक के दौरान व्यवधान से बचने हेतु शेयरधारकों/सदस्यों द्वारा अच्छी स्पीड (अधिमानत: 2 एमबीपीएस डाऊनलोड स्ट्रीम) के इंटरनेट का प्रयोग करना अपेक्षित है.

कृपया ध्यान दें कि मोबाईल हॉट स्पॉट के जरिए मोबाईल / टेबलेट/ लैपटॉप के माध्यम से जुड़ने वाले शेयरधारकों/सदस्यों को नेटवर्क उतार-चढ़ाव के कारण दृश्य-श्रव्य में व्यवधान हो सकता है. अत: उक्त खामियों को दूर करने हेतु स्थिर वाई-फाय अथवा लैन कनेक्शन का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है.

यदि शेयरधारकों/सदस्यों को ई-वोटिंग के संबंध में कुछ प्रश्न या समस्या है तो आप instameet@linkintime.co.in पर ई-मेल करें अथवा टेलीफोन 022-4918 6270 पर कॉल करें.

असाधारण सामान्य बैठक के दौरान स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकरण करवाने हेतु शेयरधारकों/सदस्यों के लिए अनुदेश :

बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने वाले शेयरधारक/सदस्य स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत करने के लिए अपना अनुरोध ई-मेल smmbd@centralbank.co.in पर दिनांक 15.05.2021 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से दिनांक 17.05.2021 को सायं 5.00 बजे तक अपने नाम, डीमेट खाता नंबर / फोलियो नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर के साथ भेजें.

may note that the Notice of Extra-ordinary General Meeting will also be available on the Bank's website www.centralbankofindia.co.in under the link investor relations; websites of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Ltd and BSE Limited. Members can attend and participate in the Extra-ordinary General Meeting through VC/OAVM facility only.

vii. Instructions for e-voting and joining the Extra-ordinary General Meeting are as follows:

Instructions for Shareholders/Members to attend the Extra-ordinary General Meeting through VC/OAVM:

1) Shareholders/Members are entitled to attend the Extra-ordinary General Meeting through VC/OAVM provided by Link Intime India Pvt. Limited by following the below mentioned process. Facility for joining the Extra-ordinary General Meeting through VC/OAVM shall open 15 minutes before the time scheduled for the Extra-ordinary General Meeting and will be available to the Members on first come first serve basis.

Shareholders/Members are requested to participate on first come first serve basis as participation through VC/OAVM is limited and will be closed on expiry of 15 (fifteen) minutes from the scheduled time of the Extra-ordinary General Meeting. Shareholders/Members with >2% shareholding, Promoters, Institutional Investors, Directors, KMPs, Chair Persons of Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders Relationship Committee and Auditors etc. may be allowed to the meeting without restrictions of first-come-first serve basis. Members can log in and join 15 (fifteen) minutes prior to the schedule time of the meeting and window for joining shall be kept open till the expiry of 15 (fifteen) minutes after the schedule time. Participation is restricted upto 2500 members only.

Shareholders/ Members will be provided with InstaMeet facility for attending the EGM through VC/OAVM wherein Shareholders/ Member shall register their details and attend the Extra-ordinary General Meeting as under:

1. Open the internet browser and launch the URL for InstaMeet <<https://instameet.linkintime.co.in>> and register with your following details:

   a. DP ID / Client ID or Beneficiary ID or Folio No.: Enter your 16 digit DP ID / Client ID or Beneficiary ID or Folio Number registered with the Bank

   b. PAN: Enter your 10 digit Permanent Account Number (PAN)

   c. Mobile No.

   d. Email ID

2. Click "Go to Meeting"

Note:

Shareholders/ Members are encouraged to join the Meeting through Tablets/ Laptops connected through broadband for better experience.

Shareholders/ Members are required to use Internet with a good speed (preferably 2 MBPS download

stream) to avoid any disturbance during the meeting.

Please note that Shareholders/Members connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptops connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Visual loss due to fluctuation in their network. It is therefore recommended to use stable Wi-FI or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

In case the shareholders/members have any queries or issues regarding e-voting, you can write an email to instameet@linkintime.co.in or Call at Telephone no. 022-4918 6270.

Instructions for Shareholders/Members to register themselves as Speakers during Extraordinary General Meeting:

Shareholders/ Members who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at e-mail: smmbd@centralbank.co.in from 15.05.2021 at 10.00 am to 17.05.2021 at 5.00 pm.

बैठक के दौरान वक्ताओं को ''पहले आयें पहले पाये'' के आधार पर अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी.

शेयरधारक/सदस्य, जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना प्रश्न पहले ही ई-मेल investors@centralbank.co.in पर अपने नाम, डीमेट खाता नंबर / फोलियो नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर के साथ भेजें. उसका जवाब बैंक द्वारा समुचित ढंग से दिया जाएगा.

नोट :

बैठक के दौरान, सिर्फ वक्ता के रूप में पंजीकृत शेयरधारकों/सदस्यों को ही अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी. बैंक असाधारण सामान्य बैठक हेतु उपलब्ध समय के अनुसार वक्ताओं की संख्या सीमित रखने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है.

बैठक के दौरान व्यवधान से बचने हेतु शेयरधारकों/सदस्यों को कैमेरा और अच्छी स्पीड (अधिमानत: 2 एमबीपीएस डाऊनलोड स्ट्रीम) के इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति है.

असाधारण सामान्य बैठक के दौरान इन्स्टामीट के माध्यम से वोट करने हेतु शेयरधारकों/सदस्यों को अनुदेश :

बैठक के दौरान जब जांचकर्ता(स्क्रुटिनाइजर) द्वारा इलेक्ट्रानिक वोटिंग सक्रिय किया जाएगा तब जिन शेयरधारकों/सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है वे निम्नानुसार अपना वोट दे सकेंगे :

1. शेयरहोल्डर्स वीसी पेज पर ई-वोटिंग के लिए ''कास्ट यूवर वोट'' लिंक पर ई-वोटिंग के लिए क्लिक करें.
2. डीमेट खाता संख्या/ फोलियो संख्या और ''इन्स्टामीट'' के पंजीकरण के दौरान (पंजीकृत मोबाइल नंबर/पंजीकृत ई-मेल आईडी पर प्राप्त) ओटीपी प्रविष्ट करें और **'सबमिट'** पर क्लिक करें.
3. सफल (सक्सेसफुल) लॉगिन के पश्चात आपको मतदान करने के लिए ''रिजोल्युशन डिस्क्रीपशन'' और उसके सामने ''फेवर/ अगेन्स्ट'' का विकल्प दिखायी देगा.
4. अपने इच्छित विकल्प अर्थात ''फेवर/ अगेन्स्ट'' का चयन कर अपना वोट दें. नियत (कट ऑफ) तारीख पर शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या दर्शाती है) ''फेवर/ अगेन्स्ट'' में प्रविष्ट करें.
5. आपके निर्णय के अनुसार ''फेवर/ अगेन्स्ट'' में से उचित विकल्प का चयन करने पर 'सेव' क्लिक करें. ''कन्फरमेंशन बॉक्स" दिखेगा. अगर आप अपने वोटों की पुष्टि करना चाहते है, तो ''कन्फर्म'' पर क्लिक करें, अगर परिवर्तन करना चाहते है तो ''बैक'' पर क्लिक कर, अपने वोट में सुधार करें.
6. आपके द्वारा एक बार संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करने के पश्चात, आपको अपने वोट में परिवर्तन अथवा सुधार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

नोट :

''इन्स्टामीट'' सुविधा के जरिए वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से असाधारण सामान्य बैठक में जो शेयरधारक/सदस्य उपस्थित रहेंगे और जिन्होंने संकल्प पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है और जो अन्यथा ऐसा करने के लिए वर्जित नहीं हैं, वे बैठक के दौरान ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से वोट देने हेतु पात्र होंगे.

असाधारण सामान्य बैठक से पूर्व जिन शेयरधारकों /सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग से अपना वोट दिया हैं, वे असाधारण सामान्य बैठक में इन्स्टामीट सुविधा के जरिए वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित रहने/सहभागिता करने हेतु पात्र होंगे. तथापि, वे बैठक के दौरान पुन: वोट देने हेतु पात्र नहीं होंगे.

यदि शेयरधारकों/सदस्यों को ई-वोटिंग के संबंध में कुछ प्रश्न या समस्या है तो आप instameet@linkintime.co.in पर ई-मेल करें अथवा टेलीफोन 022-4918 6270 पर कॉल करें.

3. रिमोट ई-वोटिंग

I. सेबी (सूचीबद्ध प्रकटीकरण एवं अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के नियम 44 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुपालन में बैंक, वैकल्पिक माध्यम के तौर पर रिमोट ई वोटिग सुविधा सहर्ष प्रस्तावित करता है ताकि सदस्यगण अपने वोट इलेक्ट्रॉ निक रूप से कर पाएं. बैंक द्वारा लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि., बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ रिमोट ई-वोटिंग को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गयी हैं.

The Speakers on first come basis will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

Shareholders/ Members, who would like to ask questions, may send their questions in advance mentioning their name demat account number/folio number, email id, mobile number at e-mail : investors@centralbank.co.in. The same will be replied by the Bank suitably.

Note:

Those shareholders/members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting. The Bank reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the Extra-ordinary General Meeting.

Shareholders/ Members should allow to use camera and are required to use Internet with a good speed (preferably 2 MBPS download stream) to avoid any disturbance during the meeting.

Instructions for Shareholders/Members to Vote during the Extra-ordinary General Meeting through InstaMeet:

Once the electronic voting is activated by the scrutiniser during the meeting, shareholders/ members who have not exercised their vote through the remote e-voting can cast the vote as under:

1. On the Shareholders VC page, click on the link for e-Voting "Cast your vote".
2. Enter Demat Account No. / Folio No. and OTP (received on the registered mobile number/ registered email Id) received during registration for InstaMeet and click on '**Submit**'.
3. After successful login, you will see "Resolution Description" and against the same the option "Favour/ Against" for voting.
4. Cast your vote by selecting appropriate option i.e. "Favour/Against" as desired. Enter the number of shares (which represents no. of votes) as on the cut-off date under 'Favour/Against'.
5. After selecting the appropriate option i.e. Favour/Against as desired and you have decided to vote, click on "Save". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "Confirm", else to change your vote, click on "Back" and accordingly modify your vote.
6. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify or change your vote subsequently.

Note:

Shareholders/ Members, who will be present in the Extra-ordinary General Meeting through VC/OAVM by InstaMeet facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting facility during the meeting.

Shareholders/ Members who have voted through Remote e-Voting prior to the Extra-ordinary General Meeting will be eligible to attend/participate in the Extra-ordinary General Meeting through InstaMeet. However, they will not be eligible to vote again during the meeting.

In case the shareholders/members have any queries or issues regarding e-voting, you can write an email to instameet@linkintime.co.in or Call at Telephone no. 022-4918 6270.

3. REMOTE E-VOTING

I. In compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, the Bank is pleased to offer remote e-voting facility as an alternative mode of voting which will enable the Members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the Bank with Link Intime India Pvt. Limited, Registrar and Share Transfer agent of the Bank to facilitate remote e-voting.

The remote e-voting period begins on Saturday, 15th May 2021 at 10.00 AM and ends on Monday, 17th May 2021 at 05.00 PM. During this period shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शनिवार, दिनांक 15 मई, 2021 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से सोमवार, दिनांक 17 मई, 2021 को सायं 5.00 बजे तक है. इस अवधि के दौरान नियत (कट ऑफ) तारीख अर्थात बुधवार, दिनांक 12 मई, 2021 को भौतिक रूप से या डीमेट रूप में शेयर रखनेवाले बैंक के शेयरधारक अपने वोट इलेक्ट्रानिक रूप से दे सकते हैं. तत्पश्चात, लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. द्वारा रिमोट ई-वोटिंग की यह सुविधा बंद की जाएगी.

रिमोट ई-वोटिंग संबंधी प्रक्रिया एवं अनुदेश निम्नानुसार हैं :

❖ **लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि.(एलआईआईपीएल) की ई-वोटिंग वेबसाइट में लॉग-इन करें.**

1. एलआईआईपीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर विजिट करें: यूआरएल https://instavote.linkintime.co.in टाइप कर वेब ब्राउज़र खोलें.
2. 'शेयरहोल्डर' सेक्शन में ''लॉग-इन'' टैब पर क्लिक करें.
3. अपना यूजर आईडी, पासवर्ड तथा स्क्रिन पर दर्शाया गया इमेज वेरिफिकेशन कोड (कैपचा) प्रविष्ट करें और ''सबमिट'' पर क्लिक करें.
4. आपके यूजर आईडी विवरण निम्नानुसार होंगे :
   - ए. **एनएसडीएल के साथ डीमेट खाते में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों के लिए** : आपका यूजर आईडी 8 अंकों के डीपी आईडी के पश्चात 8 अंकों का क्लाइंट आईडी रहेगा.
   - बी. **सीडीएसएल के साथ डीमेट खाते में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों के लिए** : आपका यूजर आईडी 16 अंकीय लाभार्थी आईडी रहेगा.
   - सी. **भौतिक स्वरूप में शेयर्स (अर्थात् शेयर सर्टिफिकेट) रखने वाले शेयरधारक** : आपका यूजर आईडी इवेंट नंबर + कंपनी में पंजीकृत फोलियो नंबर रहेगा.
5. आपके पासवर्ड विवरण नीचे दिये गये है:

   यदि आप एलआईआईपीएल की ई-वोटिंग प्रणाली https://instavote.linkintime.co.in के प्रथम बार उपयोगकर्ता हैं अथवा यदि आपके पास भौतिक रूप में शेयर्स हैं, तो आपको निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी :

   'शेयरहोल्डर' सेक्शन में उपलब्ध ''साइन-अप'' टैब क्लिक करें, आपके विवरण पंजीकृत करें और आपकी रुचि के अनुसार पासवर्ड बनायें और उसकी पुष्टि करें. (पासवर्ड में न्यूनतम 8 कैरेक्टर हो, जिनमें कम-से-कम एक स्पेशल कैरेक्टर, कम-से-कम एक न्यूमरल, कम-से-कम एक एल्फाबेट और कम-से-कम एक कैपिटल लेटर हों.

	डीमेट अथवा भौतिक स्वरूप में शेयर्स रखने वाले शेयर्धारकों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंकीय एल्फान्यूमेरिक *पैन एंटर करें. (डीमेट शेयरधारकों के साथ साथ भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू) • वे सदस्य, जिन्होंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपन्ट अथवा बैंक के रिकार्ड में अपना पैन अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे ई-मेल द्वारा संप्रेषित क्रमांक का प्रयोग करें. यदि ई-मेल द्वारा क्रमांक प्राप्त नहीं हुआ है तो सदस्य क्रमांक प्राप्त करने के लिए instameet@linkintime.co.in को ई-मेल करें अथवा टेलीफोन नंबर 022-4918 6270 पर कॉल करें.
जन्म तिथि / निवेश तिथि	अपने डीमेट खाते अथवा फोलियो नंबर के लिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपन्ट अथवा बैंक के रिकार्ड में उपलब्ध जन्मतिथि (डीओबी) / निवेश तिथि (डीओआई) डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई प्रारूप में प्रविष्ट करें.
बैंक खाता संख्या	डीमेट खाते अथवा फोलियो नंबर के लिए अपने डीमेट खाते अथवा बैंक के रिकार्ड में रखें बैंक खाता संख्या (अंतिम चार डिजिट) प्रविष्ट करें. • पंजीकरण करने के लिए कृपया जन्मतिथि (डीओबी) / निवेश तिथि (डीओआई) अथवा बैंक खाता संख्या प्रविष्ट करें. यदि उक्त वर्णित विवरण डिपॉजिटरी पार्टिसिपन्ट अथवा बैंक के रिकार्ड में नहीं हैं तो कृपया बैंक खाता संख्या के स्थान पर फोलियो नंबर प्रविष्ट करें. जैसा कि अनुदेश (iv-सी) में बताया गया है.

यदि आपके शेयर डीमेट रूप में हैं और आपने एलआईआईपीएल के ई-वोटिंग प्रणाली https://instavote.linkintime.co.in में पंजीकरण किया है और/अथवा इससे पूर्व किसी अन्य कंपनी के लिए वोटिंग किया हैं तो आप अपने वर्तमान पासवर्ड का उपयोग लॉ ग-इन के लिए कर सकते हैं.

dematerialized form as on the cut-off date i.e. Wednesday, 12th May 2021, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by Link Intime India Pvt. Limited for voting thereafter.

The process and instructions for remote e-voting are as under :

❖ **Log-in to e-Voting website of Link Intime India Private Limited (LIIPL)**

1. Visit the e-voting system of LIIPL. Open web browser by typing the following URL: https://instavote.linkintime.co.in.
2. Click on "Login" tab, available under 'Shareholders' section.
3. Enter your User ID, password and image verification code (CAPTCHA) as shown on the screen and click on "SUBMIT".
4. Your User ID details are given below:
   a. **Shareholders holding shares in demat account with NSDL:** Your User ID is 8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID
   b. **Shareholders holding shares in demat account with CDSL:** Your User ID is 16 Digit Beneficiary ID
   c. **Shareholders holding shares in Physical Form (i.e. Share Certificate):** Your User ID is Event No + Folio Number registered with the Company
5. Your Password details are given below:

   If you are using e-Voting system of LIIPL: https://instavote.linkintime.co.in for the first time or if you are holding shares in physical form, you need to follow the steps given below:

   Click on "Sign Up" tab available under 'Shareholders' section, register your details and set the password of your choice and confirm (The password should contain minimum 8 characters, at least one special character, at least one numeral, at least one alphabet and at least one capital letter).

	For Shareholders holding shares in Demat Form or Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders). • Members who have not updated their PAN with depository Participant or in the Bank record are requested to use the sequence number as communicated vide e-mail. In case sequence number is not received through e-mail, Members can write an email to instameet@linkintime.co.in or call at Telephone no. 022-4918 6270, for obtaining sequence number.
DOB/ DOI	Enter the DOB (Date of Birth)/ DOI as recorded with depository participant or in the Bank record for the said demat account or folio number in dd/mm/yyyy format.
Bank Account Number	Enter the Bank Account number (Last Four Digits) as recorded in your demat account or in the Bank records for the said demat account or folio number. • Please enter the DOB/ DOI or Bank Account number in order to register. If the above mentioned details are not recorded with the depository participants or the Bank, please enter Folio number in the Bank Account number field as mentioned in instruction (iv-c).

   If you are holding shares in demat form and had registered on to e-Voting system of LIIPL: https://instavote.linkintime.co.in, and/or voted on an earlier voting of any company then you can use your existing password to login.

यदि डीमेट और भौतिक स्वरूप में शेयर्स रखने वाले शेयरधारक अपना पासवर्ड भूल जाते है :

यूजर आईडी प्रविष्ट करें, मोड का चयन कर इमेज वेरिफिकेशन कोड (कैपचा) प्रविष्ट करें और ''सबमिट'' पर क्लिक करें.

यदि शेयरधारक के पास वैध ई-मेल आईडी है, तो पासवर्ड शेयरधारक के पंजीकृत ई-मेल पर भेजा जाएगा. अन्यथा, शेयरधारक सुरक्षा प्रश्न एवं जवाब, पैन, जन्म तिथि / निवेश तिथि, डिविडंड बैंक विवरण आदि की सूचना देकर अपनी रुचि के अनुसार पासवर्ड तैयार कर पुष्टि करें. (पासवर्ड में न्यूनतम 8 कैरेक्टर हो, जिनमें कम-से-कम एक स्पेशल कैरेक्टर, कम-से-कम एक न्यूमरल, कम-से-कम एक एल्फाबेट और कम-से-कम एक कैपिटल लेटर हों.)

नोट: डीमेट शेयरधारक द्वारा इस पासवर्ड का उपयोग बैंक, जिसमें वो शेयरधारक है और वोटिंग के लिए पात्र है, द्वारा प्रस्तुत संकल्प के वोटिंग के लिए किया जायेगा बशर्ते बैंक ने एलआईआईपीएल के ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म का विकल्प दिया हो.

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए यह विवरण सिर्फ इस सूचना में दिये गये संकल्प के वोटिंग हेतु है.

जोरदार सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें.

❖ **अपना वोट इलेक्ट्रानिक रूप में दें**

6. सफल लॉग-इन के पश्चात, इन्स्टा वोट के होम पेज पर आपको ई-वोटिंग का नोटिफिकेशन दिखायी देगा. वोट देने के लिए बैंक का ''इवेन्ट नंबर'' चयन करें या देखें(सिलेक्ट/व्यू).
7. वोटिंग पेज पर आपको ''रिजोल्युशन'' दिखायी देगा और उसके सामने वोटिंग के लिए ''फेवर/अगेन्स्ट'' का विकल्प दिखायी देगा.

   उचित विकल्प अर्थात् इच्छानुसार ''फेवर/अगेन्स्ट'' का चयन कर अपना वोट दें.

   कट ऑफ तारीख पर शेयर की संख्या (जो वोटों की संख्या दर्शाती है) ''फेवर/ अगेन्स्ट'' में प्रविष्ट करें. आप ''अलग रखना (अबस्टेन)'' के विकल्प का भी चयन कर सकते है, तो धारित शेयर्स ''फेवर/ अगेन्स्ट'' के लिए नहीं गिने जायेगें.
8. यदि आप पूरा संकल्प विवरण देखना चाहते है, तो ''व्यू रिज़ोल्यूशन'' फाइल लिंक पर क्लिक करें.
9. आपने वोट देने का निर्णय लिया है तो ''फेवर/ अगेन्स्ट'' में से उचित विकल्प का चयन करने पर 'सबमिट' क्लिक करें. ''कन्फरमेशन बॉक्स" दिखेगा. अगर आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते है, तो ''हां (यस)'' पर क्लिक करें, अगर परिवर्तन करना चाहते है तो ''नहीं (नो)'' पर क्लिक कर, अपने वोट में संशोधन करें.
10. आपके द्वारा एक बार संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करने के पश्चात आपको अपने वोट में परिवर्तन अथवा सुधार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
11. आप वोटिंग पृष्ठ पर ''प्रिंट'' विकल्प का चयन कर, अपने दिये गये वोट का 'प्रिंट आउट' भी ले सकते हैं.

❖ **शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश:**

- संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात वैयक्तिकों के अलावा, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि) एवं अभिरक्षक को एलआईआईपीएल की ई-वोटिंग प्रणाली में https://instavote.linkintime.co.in पर लॉग-इन कर अपने आपको ''अभिरक्षक (कस्टोडियन) / म्युच्युअल फंड/ कॉर्पोरेट निकाय'' के तौर पर पंजीकृत करना होगा.

  उन्हें बोर्ड का संकल्प / प्राधिकार पत्र/ मुख्तारनामा आदि की स्कैन की गयी प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि, साथ ही विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर, पीडीएफ प्रारूप में ''अभिरक्षक (कस्टोडियन)/ म्युच्युअल फंड/ कॉर्पोरेट निकाय'' लॉग-इन में अपलोड करने होगें, ताकि जांचकर्ता (स्क्रूटिनाइज़र) उसे सत्यापित कर सकें.
- वोटिंग अवधि के दौरान शेयरधारक उस विशिष्ट ''इवेंट'' के लिए संकल्प(ल्पों) हेतु वोट करने तक कई बार लॉग-इन कर सकते हैं.
- विभिन्न फोलियों/डीमेट खाता रखनेवाले शेयरधारक, प्रत्येक फोलियो/डीमेट खाते के लिए स्वतंत्र रूप से वोटिंग प्रक्रिया को चुन सकते हैं.
- यदि शेयरधारकों को ई-वोटिंग के संबंध में कुछ प्रश्न या समस्या है तो https://instavote.linkintime.co.in, पर हेल्प सेक्शन में उपलब्ध बार-बार पूछे जानेवाले प्रश्न (''एफएक्यू'') और इन्स्टावोट ई-वोटिंग मैन्युअल देखें अथवा enotices@linkintime.co.in पर ई-मेल करें अथवा टेलीफोन नं. : 022 - 49186000 पर संपर्क करें.

II. शेयरोंधारकों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तारीख अर्थात् बुधवार, दिनांक 12 मई, 2021 को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे. तथापि, बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, केन्द्र सरकार को छोड़कर, बैंक का अन्य कोई भी शेयरधारक उसके धारित शेयरों के लिए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक, वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होगा.

If Shareholders holding shares in Demat Form or Physical Form have forgotten password:

Enter User ID, select Mode and Enter Image Verification code (CAPTCHA). Click on "SUBMIT".

Incase shareholder is having valid email address, Password will be sent to the shareholder's registered e-mail address. Else, shareholder can set the password of his/her choice by providing the information about the particulars of the Security Question & Answer, PAN, DOB/ DOI, Dividend Bank Details etc. and confirm. (The password should contain minimum 8 characters, at least one special character, at least one numeral, at least one alphabet and at least one capital letter)

NOTE: The password is to be used by demat shareholders for voting on the resolutions placed by the Bank in which they are a shareholder and eligible to vote, provided that the company opts for e-voting platform of LIIPL.

For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for voting on the resolutions contained in this Notice.

It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

❖ **Cast your vote electronically**

6. After successful login, you will be able to see the notification for e-voting on the home page of INSTA Vote. Select/ View "Event No" of the Bank, you choose to vote.
7. On the voting page, you will see "Resolution Description" and against the same the option "Favour/ Against" for voting.

   Cast your vote by selecting appropriate option i.e. Favour/Against as desired.

   Enter the number of shares (which represents no. of votes) as on the cut-off date under 'Favour/Against'. You may also choose the option 'Abstain' and the shares held will not be counted under 'Favour/Against'.
8. If you wish to view the entire Resolution details, click on the 'View Resolutions' File Link.
9. After selecting the appropriate option i.e. Favour/Against as desired and you have decided to vote, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "YES", else to change your vote, click on "NO" and accordingly modify your vote.
10. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify or change your vote subsequently.
11. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on "Print" option on the Voting page.

❖ **General Guidelines for shareholders:**

- Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to e-Voting system of LIIPL: https://instavote.linkintime.co.in and register themselves as **'Custodian / Mutual Fund / Corporate Body'**.

  They are also required to upload a scanned certified true copy of the board resolution / authority letter/power of attorney etc. together with attested specimen signature of the duly authorised representative(s) in PDF format in the **'Custodian / Mutual Fund / Corporate Body' login** for the Scrutinizer to verify the same.
- During the voting period, shareholders can login any number of time till they have voted on the resolution(s) for a particular "Event".
- Shareholders holding multiple folios/demat account shall choose the voting process separately for each of the folios/demat account.
- In case the shareholders have any queries or issues regarding e-voting, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or Call us **:-**Tel : 022 -49186000.

II. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date i.e. Wednesday, 12th May, 2021. However, in terms of the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act,1970 no shareholder of the

III. ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात **बुधवार, दिनांक 12 मई, 2021** को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में रिकार्ड किया गया है, सिर्फ वह रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा के लिए पात्र होगा.

IV. ऐसा व्यक्ति, जो बैंठक की सूचना ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने के पश्चात बैंक का सदस्य बना हो तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात बुधवार, दिनांक 12 मई, 2021 को शेयर धारण करता हो, उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है.

V. इस सूचना की प्रति, बैंक की वेबसाइट एवं लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है.

VI. रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न करने हेतु, ईजेडवाई लॉज़, एडवोकेट्स एवं कोर्पोरेट लीगल एडवाजर के श्री अंकुर कुमार को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है.

VII. जांचकर्ता द्वारा ई-वोटिंग करने की अवधि की समाप्ति से तीन (3) कार्यदिवस से अनधिक अवधि के भीतर न्यूनतम दो (2) गवाहों, जो बैंक के रोजगार में नहीं हैं, की उपस्थिति में मतों की गणना की जाएगी और मतों की जांच रिपोर्ट, चाहे वह पक्ष में अथवा विरूद्ध, जैसी भी हो, तैयार कर अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की जायेगी.

VIII. जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in एवं लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि की वेबसाइट पर बैंक की असाधारण सामान्य बैठक में संकल्प परित करने के दो(2) दिनों के भीतर प्रदर्शित किए जाएंगे एवं बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक लिमिटेड को भी सूचित किए जाएंगे.

4. मतदान का अधिकार

अधिनियम की धारा 3(2ई) के उपबंधों के अनुसार, सदृश नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, अपने द्वारा धारित शेयरों के सम्बंध में, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक के मतदान-अधिकार का प्रयोग करने का पात्र नहीं होगा / होगी.

उपर्युक्त के अधीन, विनियमन 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक, जो शेयरधारक के रुप में पंजीकृत है, अपना हाथ दिखाकर एक मत दे सकेगा और मतदान की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक वोट देने का अधिकार होगा.

5. संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग

विनियमनों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के मामले में रजिस्टर में उल्लिखित प्रथम नाम के व्यक्ति को एकमात्र धारक माना जाएगा. अत: यदि शेयर्स संयुक्त धारकों के नाम में हैं तो केवल प्रथम नामांकित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने एवं मत देने का हकदार होगा.

6. भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना :

जैसा कि आप जानते ही हैं कि भौतिक स्वरूप में शेयरों का क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता, अत: शेयरधारकों को तरलता प्रदान करने के लिए, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर लें. आप बैंक की किसी भी नजदीकी शाखा, जो डीमेट सेवा प्रदान करती हो, में खाता खोलकर अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर सकते हैं. बैंक की वेबसाइट पर डीमेट सेवाएं प्रदान करने वाली शाखाओं की सूची उपलब्ध है. शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित करने के अनेक फायदे हैं जैसे क्षति अथवा गलत सुपुर्दगी से बचाव, तीव्र निपटान, कागजरहित लेन-देन आदि. साथ ही, पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश, नामांकन एवं लेनदेन के अनुरोध की सूचना भी एक ही स्थान पर अर्थात वह शाखा, जहां आपने अपना डीमेट खाता खोला है, में ही देनी होती है, भले ही आपके पास एक से अधिक कंपनियों/संस्थाओं के शेयर हों.

7. अदावाकृत लाभांश, यदि कोई है:

वे शेयरधारक, जिन्होंने अपने लाभांश वारंट नहीं भुनाए हैं या जिन्हें पिछले वर्षों में किसी भी वर्ष के लाभांश प्राप्त नहीं हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाते में सीधे भुगतान किए जाने या दूसरा (डुप्लीकेट) लाभांश वारंट /मांग ड्राफ्ट जारी करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क करें.

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण), अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार, अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरण की तारीख से सात(7) वर्षों की अवधि तक यदि लाभांश की राशि अदत्त अथवा अदावाकृत रहती है तो वह राशि निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दी जाएगी और तत्पश्चात इस भुगतान के संदर्भ में कोई दावा न तो बैंक और न ही आईईपीएफ पर लागू होगा.

Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

III. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. Wednesday, 12th May, 2021 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting at EGM.

IV. Any person who becomes a member of the Bank after sending of the Notice of the Meeting vide e-mail and holding shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, 12th May 2021, may obtain the User ID and password in the manner as mentioned herein above.

V. A copy of this notice has been placed on the website of the Bank and also on the website of Link Intime India Pvt. Limited.

VI. Shri Ankur Kumar of EZY Laws, Advocates & Corporate Legal Advisors has been appointed as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

VII. The Scrutinizer shall within a period not exceeding three (3) working days from the conclusion of the e-voting period unblock the votes in the presence of at least two (2) witnesses not in the employment of the Bank and make a Scrutinizer's Report of the votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman.

VIII. The Results declared alongwith the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.centralbankofindia.co.in and on the website of Link Intime India Pvt. Limited within two (2) days of passing of the resolution at the EGM of the Bank and communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

4. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of Section 3(2E) of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

5. EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Hence if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote in the meeting.

6. Intimation to shareholders holding shares in physical form:

As you may be aware that the shares cannot be traded in physical form and in order to impart liquidity to the shareholders, we request you to convert your shares into Dematerialised form. You may convert your shares into Demat by opening an Account with the nearest bank's branch providing Demat Service. The list of branches providing Demat services is available on website of the Bank. There are various advantages associated with converting your shareholding in Demat form viz. avoidance of loss, bad deliveries, faster settlements, paperless trading, etc. Further, intimations regarding change of address, bank mandate, nomination and request for transaction are required to be given only at one place i.e. with the branch where you open your Demat Account even if you hold shares of more than one Company/entity.

7. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / or have not received dividend for any of the previous years are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent or the Bank for arranging payment thereof directly to their Bank A/c or for issue of duplicate dividend warrant/Demand Draft.

As per Section 10B of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF).

व्याख्यात्मक विवरण

सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन में प्रस्तावित अधिमानी निर्गम के विवरण निम्नानुसार प्रकट किये जाते है :

I. अधिमानी निर्गम का उद्देश्य

बैंक अपनी इक्विटी पूंजी बढ़ाने और कोर पूंजी (सीईटी - 1) में सुधार लाने के उद्देश्य से इक्विटी शेयरों के निर्गम तथा आबंटन के माध्यम से निधि संग्रहण का प्रस्ताव करता है. दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 को 10.32% टियर I/ सीईटी - 1 तथा 2.07% टियर II के साथ बैंक का सीआरएआर 12.39% था. दिनांक 31 मार्च, 2020 को 9.33% टियर I/ सीईटी - 1 तथा 2.39% टियर II के साथ बैंक का सीआरएआर 11.72% था. भारत सरकार ने पत्र दिनांक 17 मार्च, 2021 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक में इक्विटी शेयरों (विशेष प्रतिभूति/बॉण्ड्स) के अधिमानी आबंटन में केन्द्र सरकार के निवेश के रूप में ₹ 4800/- करोड़ (चार हजार आठ सौ करोड़) जारी करने की स्वीकृति की सूचना दी है. दिनांक 31 मार्च, 2021 को भारत सरकार से ₹ 4800.00 की पूंजी निधि बैंक को प्राप्त हुई है जो ''शेयर आवेदन राशि खाता'' में रखी गयी है.

भारत सरकार द्वारा इक्विटी के इस संचार से बैंक को जब और जैसे भी आवश्यक हो, यथा अपेक्षित सांविधिक प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमोदन के अधीन, किसी आगामी तिथि पर जनता/वित्तीय संस्थानों से राईट इश्यु/एफपीओ/ अर्हता प्राप्त संस्थानों को प्लेसमेंट्स (क्यूआईपी)के माध्यम से और अधिक इक्विटी निधि जुटाने के लिए अतिरिक्त लाभ मिला है.

इस अधिमानी इक्विटी आबंटन से प्राप्त होने वाली पूंजी का उपयोग बैंक द्वारा अपने किसी भी अनुषंगियों, संयुक्त उपक्रमों आदि में निवेश हेतु नहीं किया जाएगा.

II. प्रस्ताव हेतु अभिदान करने के लिए प्रवर्तकों / निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों का प्रस्ताव :

निम्न खण्ड (V) में विनिर्दिष्ट किये अनुसार प्रवर्तक अर्थात् भारत सरकार के अतिरिक्त कोई भी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति इक्विटी शेयरों के अभिदान हेतु इच्छुक नहीं हैं.

III. प्रस्तावित अधिमानी प्रस्ताव से पूर्व और पश्चात शेयर धारिता प्रारूप :

क्र. सं.	शेयर धारकों के नाम	आबंटन - पूर्व शेयरों की संख्या	आबंटन - पूर्व प्रदत्त पूंजी का %	शेयरों का प्रस्तावित आबंटन	आबंटन पश्चात शेयरों की संख्या	आबंटन पश्चात प्रदत्त पूंजी का %
1.	भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार),प्रवर्तक	527,50,14,715	89.78	280,53,76,972	8,08,03,91,687	93.08
2.	अन्य शेयर धारक	60,05,47,745	10.22	0	60,05,47,745	6.92
3.	**कुल (1+2)**	**587,55,62,460**	**100.00**	**280,53,76,972**	**868,09,39,432**	**100.00**

IV. अधिमानी निर्गम पूर्ण करवाने की समय सीमा :

शेयर धारकों द्वारा संकल्प पारित करने से 15 दिन के अंदर आबंटन किया जायेगा, बशर्ते इस प्रकार के आबंटन के लिए विनियामक प्राधिकरणों द्वारा आवश्यक संस्तुति, यदि कोई हो, प्राप्त करने तक आबंटन की यह अवधि बढाई जायेगी.

V. प्रस्तावित आबंटिती की पहचान तथा अधिमानी निर्गम के पश्चात उनके द्वारा धारित पूंजी का प्रतिशत और अधिमानी निर्गम के कारण नियंत्रण में परिवर्तन, यदि कोई हो:

प्रस्तावित आबंटिती की पहचान	आबंटन - पूर्व शेयरों की संख्या	आबंटन - पूर्व प्रदत्त पूंजी का %	अधिमानी आधार पर आबंटित किए जाने वाले शेयरों की संख्या	आबंटन के पश्चात शेयरों की संख्या	आबंटन पश्चात प्रदत्त पूंजी का %	आबंटन पश्चात बढा हुआ %
भारत के राष्ट्रपति(भारत सरकार),प्रवर्तक (₹4800 करोड़ पूंजी के संचार के उपरांत)	527,50,14,715	89.78	280,53,76,972	8,08,03,91,687	93.08	3.30

बैंक के वर्तमान प्रवर्तक अर्थात भारत के राष्ट्रपति(भारत सरकार) ही बैंक के नियंत्रक बने रहेंगे और प्रस्तावित अधिमानी आबंटन से बैंक के प्रबंधन/नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा.

EXPLANATORY STATEMENT

The following details of the proposed preferential issue are disclosed in accordance with the provisions of SEBI ICDR Regulations:

I. **Objects of the Preferential Issue**

The Bank proposes to raise the funds by way of issue and allotment of equity shares on in order to augment further Equity Capital and improve Core Capital (CET 1) of the Bank. CRAR as on 31st December 2020 was 12.39% with Tier I / CET1 at 10.32% and Tier II at 2.07%. As on 31st March 2020, CRAR was 11.72% with CET1/Tier I at 9.33% and Tier II at 2.39%. Government of India vide letter dated 17th March, 2021 conveyed the sanction of President of India for release of ₹ 4800/-crore (Rupees Four Thousand Eight Hundred Crore) to our Bank towards contribution of the Central Government in the preferential allotment of equity shares (Special Securities/Bonds) of the Bank during the financial year 2020-21, as Government's Investment. The Bank received said capital funds of ₹ 4800.00 crore from Government of India on 31st March, 2021 and the same was kept in "Share Application Money Account".

This infusion of equity by Government of India would also give additional leverage to the Bank to raise further equity capital from the public/ financial institutions by way of Rights Issue / FPO/ Qualified Institutional Placement (QIP) at a later date as and when the need arises, subject to necessary approvals from statutory authorities, as may be required.

The capital to be raised through this preferential allotment of equity will not be used by the Bank for making investment, in whatever form, in any of its subsidiaries, joint ventures, etc.

II. **Proposal of the Promoters / Directors / Key Management Persons of the issue to subscribe to the offer:**

None of the Directors or Key Management persons other than Promoter i.e. Government of India as mentioned in Clause (V) below intends to subscribe to the equity shares.

III. **Shareholding Pattern before and after the proposed Preferential Offer:**

Sr. No.	Name of Shareholders	Pre-allotment in terms of No. of Shares	% of pre-allotment Paid Up Capital	Proposed allotment of shares	Post allotment in terms of No of shares	% of Post-allotment Paid Up Capital
1.	President of India (Government of India), Promoter	527,50,14,715	89.78	280,53,76,972	8,08,03,91,687	93.08
2.	Other Shareholders	60,05,47,745	10.22	0.00	60,05,47,745	6.92
3.	**Total (1+2)**	**587,55,62,460**	**100.00**	**280,53,76,972**	**8,68,09,39,432**	**100.00**

IV. **The timeline within which the preferential issue shall be completed:**

The allotment shall be made within 15 days of the passing of the resolution by the shareholders, provided the time for allotment shall be extended by the time taken for obtaining approval for such allotment by any regulatory authority, if any.

V. **The identity of the Proposed Allottee and the percentage of post Preferential Issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue :**

Identity of the Proposed Allottee	Pre-allotment in terms of No. of shares	% of Pre-allotment Paid up Capital	No. of Equity shares to be allotted on Preferential basis	Post allotment in terms of No. of shares	% of Post allotment Paid up Capital	Incremental % post allotment
President of India (Government of India), Promoter (on infusion of ₹ 4800 Crore capital)	527,50,14,715	89.78	280,53,76,972	8,08,03,91,687	93.08	3.30

The existing promoter of the Bank i.e. the President of India (Government of India) will continue to have control over the Bank and there will not be any change in the management/control on the Bank as a result of the proposed preferential allotment.

VI. **Pricing of the proposed Preferential Issue:**

The Issue Price has been determined in accordance with the Chapter V of the SEBI ICDR Regulations.

VI. प्रस्तावित अधिमानी निर्गम का मूल्य निर्धारण :

निर्गम मूल्य सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय V के अनुसार निर्धारित किया गया है.

परिणामी इक्विटी शेयरों के निर्गम मूल्य के निर्धारण हेतु ''सगत तिथि'' 16 अप्रैल, 2021 है (चूंकि 17 अप्रैल, 2021 सप्ताहांत है) जो कि सदस्यों के अपेक्षित बहुमत द्वारा इस संकल्प को पारित करने हेतु तारीख अर्थात 18 मई, 2021 से 30 दिनों पूर्व है.

बैंक यह वचन देता है कि इन विनिमयों के प्रावधानों के अनुरूप, जहां भी अपेक्षित होता है, वह विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के मूल्य का पुनर्निर्धारण करेगा.

बैंक यह भी वचन देता है कि यदि मूल्य के पुनर्निर्धारण के पश्चात देय राशि का भुगतान यदि इन विनिमयों में निर्धारित अवधि के दौरान नहीं किया जाता है, तो आबंटिती द्वारा इस राशि के भुगतान तक ये इक्विटी शेयर लॉक इन रहेगा.

VII. सांविधिक लेखापरीक्षकों से प्रमाणन:

यह प्रमाणित करते हुए कि यह निर्गम सेबी आईसीडीआर विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किया जा रहा है, वैधानिक लेखापरीक्षकों से एक प्रमाणपत्र, प्रस्तावित अधिमानी निर्गम पर विचारार्थ होने वाली शेयर धारकों की असाधारण सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. इस कथित प्रमाणपत्र की एक प्रति दिनांक 18 मई, 2021 की असाधारण सामान्य बैठक में निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवाई जाएगी.

VIII. भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) ने नियत तिथि से विगत छह माहों के दौरान बैंक के किसी इक्विटी शेयर की बिक्री नहीं की है.

IX. लॉक इन अवधि :

भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को अधिमानी आधार पर निर्गमित एवं आबंटित किए जाने हेतु प्रस्तावित इक्विटी शेयर, बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों के समान होंगे. ये सेबी (पूंजी का निर्गम एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2018 अद्यतन यथा संशोधित के विनियम 167 (1) के अनुसार आबंटन दिनांक से तदर्थ प्राप्त कारोबारी अनुमोदन के दिनांक तक की तीन वर्षों की अवधि तक लॉक इन रहेंगे.

बैंक के इक्विटी शेयर को सूचीबद्ध हुए 26 सप्ताह से अधिक समय हो गया है एवं तदनुसार सेबी आईसीडीआर विनियम 2018 के विनियम 164 (3) एवं 167 (5) के प्रावधान लागू नहीं हैं.

भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) की संपूर्ण पूर्व अधिमानी आबंटित शेयरधारिता डीमैट रूप में है और बैंक शेयर बाजारों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध किये गये है के साथ कृत सूचीबद्धता करार में विनिर्दिष्ट इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता की शर्तों का निरंतर अनुपालन कर रहा है. भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) की संपूर्ण पूर्व अधिमानी - शेयरधारिता भारत सरकार को अधिमानी आधार पर दिनांक 13 नवम्बर, 2018 को आबंटित 35,43,57,970 इक्विटी शेयरों जो ट्रेडिंग संस्तुति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक अर्थात 29 नवम्बर, 2021 तक तथा भारत सरकार को अधिमानी आधार पर दिनांक 28 फरवरी, 2019 को आबंटित 38,74,39,390 इक्विटी शेयरों जो ट्रेडिंग संस्तुति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक अर्थात 19 मार्च, 2022 तक तथा भारत सरकार को अधिमानी आधार पर दिनांक 28 मार्च, 2019 को आबंटित 68,72,48,322 इक्विटी शेयरों जो ट्रेडिंग संस्तुति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक अर्थात 30 अप्रैल, 2022 तक तथा भारत सरकार को अधिमानी आधार पर दिनांक 26 नवम्बर, 2019 को आबंटित 158,38,45,063 इक्विटी शेयरों जो ट्रेडिंग संस्तुति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक अर्थात 17 दिसम्बर, 2022 तक,को छोड़कर नियत तिथि से शेयर बाजारों द्वारा दी गयी ट्रेडिंग संस्तुति की तारीख से छह माह तक लॉक इन रहेंगे.

X. सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 का विनियम 41 अन्य बातों के साथ-साथ यह स्पष्ट करता है कि जब और शेयरों के आबंटन द्वारा बैंक की निर्गमित पूंजी बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाता है, ऐसे शेयर, साधारण बैठक में शेयर धारकों द्वारा अन्यथा निर्णय लेने तक प्रथमत: बैंक में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में अभिदान हेतु बैंक के विद्यमान शेयरधारकों को प्रस्तावित किए जाएंगे. जैसा कि बैंक के विद्यमान शेयरधारकों को आनुपातिक आधार के अतिरिक्त तरीके से पूर्ण अभिदत्त इक्विटी शेयरों के आबंटन का यह प्रस्ताव किया जाता है, उपर्युक्त संकल्प पारित होना अपेक्षित होता है. आगे, यह सेबी आई सी डी आर विनियम 2018 के विनियम 160 के अधीन भी अपेक्षित है.

XI. आपके निदेशक, आपके अनुमोदन हेतु, नोटिस में दिए गए विशेष संकल्प की संस्तुति करते हैं.

XII. अपनी निजी हैसियत में अथवा भारत सरकार के नामिती के रूप में बैंक में उनकी शेयर धारिता की सीमा तक के अतिरिक्त बैंक के निदेशकों अथवा प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों में से किसी का नोटिस के संकल्प में कोई सम्बंध अथवा हित नहीं है.

XIII. बैंक के प्रवर्तक अथवा निदेशक भगौडे आर्थिक अपराधी अथवा जान बूझकर चूक कर्ता नहीं है.

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

हस्त /-

स्थान: मुंबई **(विजय वसंत मुरार)**
दिनांक: 20.04.2021 **महाप्रबंधक (ट्रेजरी/आईडी)**

The "relevant date" for determining the Issue Price of the resultant equity shares is 16th April, 2021, (since 17th April 2021 is a weekend) being the date which is 30 days prior to the date for passing this resolution by requisite majority of members i.e. 18th May 2021.

The Bank undertakes that it shall re-compute the price of the specified securities in terms of the provisions of these Regulations where it is required to do so.

The Bank also undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these Regulations, the equity shares shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.

VII. **Certification from Statutory Auditors:**

A Certificate from the Statutory Auditors shall be placed before the Extra-ordinary General Meeting of the Shareholders considering the proposed preferential issue, certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of the SEBI ICDR Regulations. A copy of the said certificate will be made available for inspection at the Extra-ordinary General Meeting on 18th May, 2021.

VIII. The President of India (Government of India) has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.

IX. **Lock-in period:**

The equity shares proposed to be issued and allotted on preferential basis to President of India (Government of India) shall rank pari-passu with the existing equity shares of the Bank. The same shall be locked-in from the date of allotment till a period of three years from the date of trading approval granted for, as per regulation 167(1) of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 as amended till date.

The equity shares of the Bank have been listed for more than twenty six weeks and accordingly, provisions of Regulations 164 (3) and 167(5) of SEBI ICDR Regulations, 2018 are not applicable.

All the shares held by President of India (Government of India) are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Regulations read with Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

The entire pre-preferential allotment shareholding of President of India (Government of India) are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed. The entire pre-preferential shareholding of President of India (Government of India) shall be locked-in for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of trading approval as granted by the stock exchanges except 35,43,57,970 equity shares allotted to Government of India on preferential basis on 13th November, 2018 which are subject to lock in for a period of three years from the date of Trading approval i.e. upto 29th November, 2021, 38,74,39,390 equity shares allotted to Government of India on preferential basis on 28th February, 2019 which are subject to lock in for a period of three years from the date of Trading approval i.e. upto 19th March, 2022, 68,72,48,322 equity shares allotted to Government of India on preferential basis on 28th March, 2019 which are subject to lock in for a period of three years from the date of Trading approval i.e. upto 30th April, 2022 and 158,38,45,063 equity shares allotted to Government of India on preferential basis on 26th November, 2019 which are subject to lock in for a period of three years from the date of Trading approval i.e. upto 17th December, 2022.

X. Regulation 41 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 provides inter-alia that when it is proposed to increase the issued capital of the Bank by allotment of further shares, such shares, shall be first offered to the existing shareholders of the Bank for subscription in proportion to their shareholding in the Bank unless the shareholders decide otherwise in a general meeting. As it is proposed to allot fully paid up Equity Shares by the method other than pro rata to the existing shareholders of the Bank, the above resolution is required to be passed. Further, it is also required under Regulation 160 of the SEBI ICDR Regulations, 2018.

XI. Your Directors recommend the special resolution as set out in the notice, for your approval.

XII. None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank is concerned with or interested in the resolution of the notice except to the extent of their shareholding in the Bank in their individual capacity or as nominee of Government of India.

XIII. The promoter or directors of the Bank are not a fugitive economic offender or a willful defaulter.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS
For CENTRAL BANK OF INDIA

Sd/-
(VIJAY VASANT MURAR)
General Manager (Treasury/ID)

Place: Mumbai
Date: 20.04.2021

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट :

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड
(इकाई - सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया)
सी-101, 247 पार्क
एल.बी.एस.मार्ग, विक्रोली (पश्चिम)
मुंबई 400 083
फोन : (022) 4918 6000
फैक्स : (022) 49186060
ई मेल : rnt.helpdesk@linkintime.co.in

Registrar and Share Transfer Agent:

Link Intime India Private Limited
(Unit-CENTRAL BANK OF INDIA)
C 101, 247 Park,
L B S Marg, Vikhroli (West),
Mumbai 400 083
Phone No: (022) 4918 6000
Fax: (022) 49186060
E-mail: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए ''केंद्रित''   "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चंदरमुखी, नरीमन पाइंट, मुम्बई - 400 021. फोन: 022-6638 7818

CENTRAL BANK OF INDIA

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Tel.: 022-6638 7818

Uchitha Graphic Printers Pvt. Ltd. • Tel.: 022-4033 6400